

“Words, symbols and numbers “Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010” in the clause 39 of the Annexure 5 appended with Principal Code shall be substituted by words, symbols and numbers “Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2023 as amended from time to time”.”

By order of the Commission,
UMAKANTA PANDA, Secy.

भोपाल, दिनांक 26 जून 2024

शुद्धि-पत्र

क्र. मप्रविनिआ-संचा.-(एल.एण्ड आर)-2024-1540.- मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग की अधिसूचना क्र. 1237-मप्रविनिआ-2023, दिनांक 24 मई 2024 (प्रकाशन तिथि 31 मई 2024) के हिन्दी संस्करण में “1237-मप्रविनिआ-2023” के स्थान पर “1237-मप्रविनिआ-2024” पढ़ा जाये.

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकांता पाण्डा, आयोग सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 जून 2024

क्रमांक 1547 / मप्रविनिआ-2024. विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 86 की उप-धारा(1)(छ) सहपठित धारा 181 की उप-धारा(2)(यत) के अधीन प्रदत्त तथा इस निमित्त समस्त सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में क्रमांक 547-एमपीईआरसी-2010 दिनांक 03 मार्च, 2010 को अधिसूचित तथा दिनांक 12 मार्च, 2010 को प्रकाशित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (शुल्क, अर्थदण्ड एवं प्रभार) (पुनरीक्षण-प्रथम) विनियम, 2010 {आरजी-21(I), वर्ष 2010} को निम्नानुसार पुनरीक्षित करता है, अर्थात् :

**मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (शुल्क, अर्थदण्ड एवं प्रभार)
(पुनरीक्षण-द्वितीय) विनियम, 2024 {आर जी-21(II), वर्ष 2024}**

प्रस्तावना

जबकि आयोग द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (शुल्क, अर्थदण्ड एवं प्रभार) (पुनरीक्षण-प्रथम) विनियम, 2010 को अधिसूचित किया गया था तथा यह जबकि इन विनियमों में कतिपय मुख्य परिवर्तन किये जाने आवश्यक हो गये हैं, अतएव इन विनियमों को पुनरीक्षित किया जा रहा है।

अध्याय एक

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ:

- (एक) ये विनियम, "मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (शुल्क, अर्थदण्ड एवं प्रभार) (पुनरीक्षण-द्वितीय) विनियम, 2024 {आर जी-21(II), वर्ष 2024}" कहलायेंगे।
- (दो) ये विनियम मध्यप्रदेश शासन के शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होंगे। तथापि, वित्तीय 2024-25 से आगे विद्युत उत्पादन कम्पनी तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के लिए पुनरीक्षित टैरिफ शुल्क अनुसूची-1 के अनुसार प्रयोज्य होंगे।
- (तीन) ये विनियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के अन्तर्गत प्रभावशील होंगे।

अध्याय दो

परिभाषाएं

2. परिभाषाएं :

- 2.1 जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में :

- (क) "आयोग" अथवा म.प्र.वि.नि.आ. से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ;
- (ख) "विद्युत अधिनियम" अथवा "अधिनियम" से अभिप्रेत है, विद्युत अधिनियम 2003 (अधिनियम 36 वर्ष 2003) ;
- (ग) "शुल्क" से अभिप्रेत है, शुल्क जैसा कि अनुसूची-1 में दर्शाया गया है।
- (घ) "अर्थदण्ड एवं/अथवा प्रभारों" से तात्पर्य अर्थदण्ड एवं/अथवा प्रभारों से है जिसे आयोग अधिनियमों के अन्तर्गत आरोपित करने हेतु अधिकृत है ;
- (ङ) "कोष" से अभिप्रेत है, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग कोष जिसे विद्युत अधिनियम धारा 103 के अन्तर्गत संस्थापित किया गया है ;
- (च) "उत्पादन कम्पनी" से अभिप्रेत विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत दर्शाये गये अर्थ से है;
- (छ) "अनुज्ञापितधारियों" से अभिप्रेत विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत आने वाले अनुज्ञापितधारी ;
- (ज) "विनियमों" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (शुल्क, अर्थदण्ड एवं प्रभार) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम 2024 ; और
- (झ) "अनुसूची-1" से अभिप्रेत इन विनियमों से संलग्न अनुसूची से है ;
- 2.2 समय-समय पर यथासंशोधित 'दी जनरल क्लॉज एक्ट, 1897' को इन विनियमों की व्याख्या हेतु लागू माना जाएगा।

अध्याय तीन

शुल्क

3. आवेदनों एवं याचिकाओं पर देय शुल्क :

- एक. आयोग को प्रस्तुत प्रत्येक आवेदन, याचिका एवं अपील के साथ अनुसूची-1 में दर्शाये अनुसार शुल्क देय होगा। सह-याचिकाकर्ता यदि कोई हों, को मुख्य याचिकाकर्ता के समकक्ष शुल्क/प्रभारों का भुगतान करना होगा। तथापि केन्द्र/राज्य शासन द्वारा आवेदन/याचिका दायर किये जाने पर, उन पर किसी प्रकार के शुल्क/प्रभार उद्ग्रहित नहीं किये जाएंगे। वितरण अनुज्ञापितधारियों को भी, उसी दशा में, जहां वे सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा खुदरा आपूर्ति टैरिफ के अवधारण के लिये याचिकाओं में सह-याचिकाकर्ता हों को पृथक शुल्क के भुगतान से छूट दी जाएगी।
- दो. याचिकाएं जिनमें दो या दो से अधिक सुस्पष्ट विषयों को सम्मिलित किया गया हो वहां याचिकाओं को इस प्रकार माना जाएगा जैसे कि वे पृथक-पृथक

- विषयों के लिये पृथक-पृथक दाखिल की गई है। ऐसी याचिकाओं पर प्रयोज्य शुल्क अनुसूची-1 के अन्तर्गत देय शुल्कों की समेकित राशि के बराबर होगा। परन्तु यह कि याचिका दाखिल करने वाला गरीबी रेखा (BPL) से नीचे या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) से संबंधित कोई याचिकाकर्ता अपनी व्यक्तिगत क्षमता में, उपरोक्त उप-कंडिका एक एवं दो के अंतर्गत देय शुल्क से छूट प्रदान करने की मांग करता है तो आयोग अपनी स्वेच्छानुसार उसके शुल्क में पूर्ण/आंशिक छूट प्रदान कर सकेगा। यदि याचिका किसी कंपनी/फर्म या इसी प्रकार की स्थापना द्वारा दाखिल की जाती है तो उसे किसी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जाएगी।
- तीन. इन विनियमों के अन्तर्गत देय शुल्क का भुगतान बैंक ड्राफ्ट या पे-आर्डर जो "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग" के पक्ष में भोपाल में देय होगा, के माध्यम से या ऑनलाईन पद्धति द्वारा करना होगा। यदि शुल्क की देय राशि एक लाख रुपये से अधिक हो तो इस राशि को इलेक्ट्रॉनिक अन्तरण पद्धति के माध्यम से मप्रविनिआ के बैंक, खाते में जमा किया जाएगा तथा इसकी सूचना आयोग को दी जाएगी। आयोग के बैंक खाते की पहचान के लिये ब्यौरा आयोग सचिव से या आयोग की वेबसाइट mperc.in से प्राप्त किया जा सकता है।
- चार. आयोग द्वारा इन विनियमों के अन्तर्गत प्राप्त सम्पूर्ण शुल्क राशि को आयोग के खाते में आकलित (क्रेडिट) किया जाएगा।
- पांच. अनुसूची-1 के सरल क्रमांक 8 एवं 9 के अनुसार वार्षिक शुल्क प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक अग्रिम रूप से देय होगा। चूक की दशा में बकाया राशि पर 1% (एक प्रतिशत) की दर से प्रत्येक माह अथवा उसके अंश के लिये जब तक की शुल्क जमा न कर दिया गया हो, विलंब शुल्क देय होगा।
- छः. उत्पादन कम्पनी/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यदि बहुवर्षीय टैरिफ की अवधारण हेतु याचिका प्रस्तुत की गई हो तो अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट दर के अनुसार पूरी टैरिफ अवधि के लिये याचिका प्रस्तुत करते समय ही शुल्क जमा किया जा सकता है। विकल्पतः याचिका प्रस्तुत करते समय विनिर्दिष्ट दर के अनुसार प्रथम वर्ष के लिये भी शुल्क जमा किया जा सकता है। शेष टैरिफ अवधि के लिये शुल्क प्रत्येक वर्ष की 28 फरवरी तक शुल्क जमा किया जा सकता है। चूक की दशा में बकाया राशि पर 1% (एक प्रतिशत) की दर से प्रत्येक माह अथवा उसके अंश के लिये जब तक की शुल्क जमा न कर दिया गया हो, विलंब शुल्क देय होगा :

परन्तु यह कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की टैरिफ अवधि के लिये केवल उत्पादन कम्पनी तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा शुल्क की राशि दिनांक 31 मार्च 2024 तक जमा की जा सकेगी।

सात. कोई भी याचिका या प्रलेख/दस्तावेज जिसे विनियम की अनुसूची-1 के अनुसार आदेय (Chargeable) निरूपित किया गया हो, को आयोग के समक्ष दाखिल नहीं किया जा सकेगा जब तक यथा निर्दिष्ट शुल्क का भुगतान न कर दिया जाए। जहां ऐसे शुल्क का भुगतान न किया गया हो या निर्धारित शुल्क से कम राशि का भुगतान किया गया हो वहां याचिकाकर्ता से उसे सूचित किये जाने की तिथि से 15 दिवस के भीतर अपेक्षित शुल्क राशि/अवशेष शुल्क राशि जमा करने की मांग की जा सकती है। मांग की गई राशि जमा न किये जाने पर, ऐसी याचिका को आयोग द्वारा अपने स्वेच्छाधिकार के अन्तर्गत बिना सुनवाई किये लौटाया जा सकेगा।

आठ. यदि कोई याचिकाकर्ता आयोग के समक्ष दाखिल की गई याचिका को किसी कारणवश वापस लेता है तो आयोग अपनी स्वेच्छानुसार याचिकाकर्ता द्वारा इन विनियमों के अनुसार जमा किये गये शुल्क की पूर्ण/आंशिक राशि का प्रत्यर्पण (रिफण्ड) याचिका वापस लेने की तिथि से 15 दिवस के भीतर कर सकेगा यदि प्रकरण की वापसी (withdrawal) प्रथम सुनवाई के पूर्व की जाए।

नौ. यदि आयोग याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल की गई मूल याचिका को प्रचलित नियमों के अनुसार अनुपयुक्त/असंगत पाता है तथा याचिकाकर्ता को पुनरीक्षित याचिका दाखिल करने के निर्देश देता है तो याचिकाकर्ता द्वारा मूल याचिका हेतु जमा किये गये शुल्क को, आयोग की स्वेच्छानुसार, पुनरीक्षित याचिका हेतु जमा किये जाने वाले फाइलिंग शुल्क के विरुद्ध समायोजित किया जा सकेगा:

बशर्ते यह कि उपरोक्त उप-कण्डिका (आठ) के अन्तर्गत वापसी (withdrawal) तथा उप-कण्डिका (नौ) के अन्तर्गत प्रत्यावर्तक (return) प्रचलित कानून के किसी उपबन्ध को प्रतिकूल प्रभावित न करे।

अध्याय चार

अर्थदण्ड एवं/अथवा प्रभार

4.1. अर्थदण्ड एवं/अथवा प्रभार आरोपण :

एक. अधिनियमों के प्रावधानों के अध्यधीन आयोग किसी विषय विशेष अथवा कार्यवाहियों में जो आयोग के समक्ष अथवा अन्य किसी भी समय पर विचाराधीन हो, किसी भी, व्यक्ति, उत्पादन कम्पनियों एवं अनुज्ञप्तिधारियों को

अधिनियम के अन्तर्गत संरचित अधिनियम अथवा नियमों, विनियमों या संहिताओं अथवा निर्देश अथवा आदेश जो आयोग द्वारा समय-समय पर लागू किये गये हों, के अनुपालन न किये जाने की दशा में अथवा उनके उल्लंघन किये जाने पर आयोग द्वारा अर्थदण्ड एवं/अथवा प्रभारों के आरोपण की कार्यवाही प्रारंभ की जा सकेगी।

- दो. आयोग अर्थदण्ड एवं/अथवा प्रभारों का परिमाण एवं सीमा का निर्धारण अन्य प्रासंगिक पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए, निम्न बिन्दुओं पर भी विचार करेगा :
- अनुपालन न किये जाने अथवा उल्लंघन का स्वरूप एवं उसका परिणाम
 - अनुपालन न किये जाने अथवा उल्लंघन के फलस्वरूप उठाया गया दोषपूर्ण लाभ अथवा अनुचित सुविधा
 - अनुपालन न किये जाने अथवा उल्लंघन के फलस्वरूप किसी/किन्हीं व्यक्ति(यों) को हुई हानि अथवा उत्पीड़न का स्तर
 - अनुपालन न किये गये अथवा उल्लंघन की आवृत्ति का स्वरूप
- तीन. जिस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे अर्थदण्ड तथा/अथवा प्रभार आरोपित किया जाना प्रस्तावित है, उसे अर्थदण्ड/प्रभार आरोपित किये जाने से पूर्व आयोग ऐसे किसी अर्थदण्ड/प्रभार को लगाये जाने अथवा उसके परिमाण अथवा सीमा के स्वरूप के विरुद्ध ऐसे व्यक्ति को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा।
- चार. आयोग ऐसे व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा जिसमें उक्त व्यक्ति के उत्तरदायित्व की सीमा जिसका उसके द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है अथवा उल्लंघन किया गया है का उल्लेख करते हुए उसे निश्चित सीमा अवधि प्रदान कर पूछा जाएगा कि क्यों न उसके द्वारा अनुपालन न किये जाने के फलस्वरूप अथवा उल्लंघन किये जाने के कारण उसके विरुद्ध अर्थदण्ड तथा/अथवा प्रभार अधिरोपित न किये जाएं।
- पांच. नोटिस के जवाब में, यदि उक्त व्यक्ति लिखित में अनुपालन न किया जाने अथवा उल्लंघन किये जाने की स्वीकारोक्ति प्रस्तुत करता है, तो आयोग उसे अभिलिखित करेगा तथा अधिनियम के प्रावधानों के अधीन ऐसे अर्थदण्ड तथा/अथवा प्रभार अधिरोपित कर सकेगा जैसा कि वह प्रकरण की परिस्थितियों के अन्तर्गत उचित समझे।
- छ. यदि ऐसा व्यक्ति जिसे उप-खण्ड तीन के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया है, कारण बताओ नोटिस का उत्तर नहीं देता अथवा अधिनियम या नियम या आयोग के आदेशों का अनुपालन न किये जाने को नकारता है अथवा उल्लंघन

किये जाने को अस्वीकार करता है, तो आयोग प्रकरण में जांच-पड़ताल कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे।

सात. आयोग संतुष्ट होने पर कि प्रकरण में किसी प्रकार के अनुपालन में उल्लंघन अथवा अधिनियम, नियमों, विनियमों अथवा आदेशों का उल्लंघन नहीं हुआ है तो यह नोटिस को निरस्त करने की कार्यवाही करेगा अथवा जांच की दशा में आदेशों के उल्लंघन या अनुपालन में उल्लंघन पाये जाने पर आयोग ऐसा अर्थदण्ड या प्रभार आरोपित कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे।

4.2. अर्थदण्डों एवं प्रभारों का भुगतान :

- (एक) आयोग द्वारा आदेशित अर्थदण्डों तथा/अथवा प्रभारों का भुगतान आयोग द्वारा अर्थदण्ड अथवा प्रभार संबंधी जारी आदेश की दिनांक से 30 दिवस की अवधि में अथवा आयोग द्वारा ऐसे आदेश में बढ़ाई गई अवधि के अन्तर्गत करना होगा।
- (दो) अर्थदण्ड तथा/अथवा प्रभारों का भुगतान इन विनियमों के खण्ड 3 के उप-खण्ड (तीन) में दर्शाई गई विधि द्वारा किया जाएगा।
- (तीन) यदि आयोग द्वारा आदेशित अर्थदण्ड तथा/अथवा प्रभारों का भुगतान विनिर्दिष्ट अवधि में नहीं किया जाता तो उनकी वसूली भू-राजस्व के बकाया के आधार पर जाएगी।

4.3. अनुसूची-1 का संशोधन :

- एक. आयोग अनुसूची-1 में दर्शाए गये शुल्क को समय-समय पर जोड़ने, संशोधन करने, बदलने अथवा राशियों के परिवर्तन करने के लिए अधिकृत होगा, जैसा कि वह उचित समझे।

अध्याय पांच

विविध

5. निरसन एवं व्यावृत्ति :

- एक. मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (शुल्क, अर्थदण्ड एवं प्रभार) विनियम, 2010 जो अधिसूचना क्रमांक 547-मप्रविनिआ-2010 द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 12.03.2010 द्वारा जो विषयवस्तु को लागू हों, विनियम के सहपठित संशोधनों सहित को एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।
- दो. इन विनियमों की कोई भी बात आयोग को इस विनियम के प्रावधानों के अनुरूप किसी विषय या विषयों के वर्ग विशिष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते

हुए अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से यदि यह आवश्यक व उचित समझें तो ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकेंगा, जो इन विनियमों में विनिर्दिष्ट किसी भी प्रावधान से अन्यथा हो।

तीन. संशोधन करने के सामान्य अधिकार : आयोग किसी भी समय ऐसी शर्तों पर जिसे आयोग उचित समझे इन विनियमों में किसी भी प्रावधान का संशोधन जिनके उद्देश्यों की पूर्ति की दृष्टि से ये विनियम संरचित किये गये हैं, में संशोधन कर सकेगा।

चार. कठिनाइयां दूर करने के अधिकार : यदि इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को मूर्तरूप देने में कठिनाई आती है तो आयोग किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा कोई भी सुधार भले वह अधिनियम के किसी प्रावधान से युक्तियुक्त न हो, जो आवश्यक प्रतीत होता हो अथवा कठिनाइयों को दूर करने में वांछनीय हो, संबंधी कार्यवाही कर सकेगा।

टीप— इस विनियम के हिन्दी रूपांतरण के प्रावधानों की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जाएगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकांता पाण्डा, आयोग सचिव.

**अनुसूची-1 (एक) {मप्रविनिआ (शुल्क, अर्थदण्ड एवं प्रभार)
(पुनरीक्षण-द्वितीय) विनियम, 2024 के अनुसार}**

| स.क्र. | आवेदन का विषय | प्रस्तावित प्रभार (रूपयों में) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | उत्पादन टैरिफ अवधारणा हेतु आवेदन | |
| (क) | किसी भी क्षमता का परंपरागत ईंधन आधारित संयंत्र | रु. 5,000/- (रु. पाँच हजार) प्रति वर्ष प्रति मेगावाट अथवा उसकी स्थापित क्षमता का कोई अंश |
| (ख) | जल विद्युत संयंत्र, जिनकी क्षमता 25 मेगावाट से अधिक हो | रु. 5,000/- (रु. पाँच हजार) प्रति वर्ष प्रति मेगावाट अथवा उसकी स्थापित क्षमता का कोई अंश |
| (ग) | किसी भी क्षमता के गैर-पारम्परिक ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत, सह-उत्पादन संयंत्र को सम्मिलित करते हुए | रु. 2,000/- (रु. दो हजार) प्रति मेगावाट अथवा उसकी स्थापित क्षमता का कोई अंश, जो न्यूनतम रूपये 10,000/- (रु. दस हजार) प्रति आवेदन के अध्यक्षीन होगा |
| (घ) | 25 मेगावाट अथवा इससे कम क्षमता के जल आधारित संयंत्र | रु. 2,000/- (रु. दो हजार) प्रति मेगावाट अथवा उसकी स्थापित क्षमता का कोई अंश, जो न्यूनतम रूपये 20,000/- (रु. बीस हजार) प्रति आवेदन के अध्यक्षीन होगा |
| (ङ) | प्रावधिक (provisional) विद्युत-दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु | रु. 1,00,000/- (रु. एक लाख) |
| 2. | पारेषण विद्युत-दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु आवेदन | रु. 400/- (रु. चार सौ) प्रति वर्ष प्रति एक मिलियन यूनिट अतिरिक्त उच्च दाब प्रणाली में ऊर्जा प्रदाय अथवा उसका अंश |
| 3. | वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत-दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु याचिका | रु. 500/- (रु. पाँच सौ) प्रति वर्ष प्रति एक मिलियन यूनिट अतिरिक्त उच्च दाब प्रणाली में ऊर्जा प्रदाय ऋण अति उच्च दाब प्रणाली में पारेषण हानियां |
| 4. | ग्रामीण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत-दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु याचिका | रु. 2,000/- (रु. दो हजार) |
| 5. | विद्युत उत्पादन कंपनी/अनुज्ञप्तिधारी /मान्य योग्य अनुज्ञप्तिधारी/व्यक्ति जिसे अनुज्ञप्ति से छूट प्राप्त है, द्वारा प्रस्तुत विद्युत-दर (टैरिफ) आदेश के पुनरीक्षण के लिये | इस अनुसूची में निर्दिष्ट विषयगत याचिका शुल्क का 25% या रु. 5,00,000/- (रु. पांच लाख) जो भी कम हो |
| 6. | ऐसा व्यक्ति, जो उपरोक्त सरल क्रमांक 5 के अन्तर्गत सम्मिलित न हो, द्वारा विद्युत दर आदेश की समीक्षा हेतु प्रस्तुत याचिका | रु. 1,00,000/- (रु. एक लाख) |
| 7. | विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 (1) के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्रदाय करने हेतु अथवा धारा 13 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति से विमुक्ति हेतु आवेदन शुल्क | रु. 5,00,000/- (रु. पाँच लाख) (अपत्यणीय)/ (Non- Refundable) दिनांक 07.06.2012 को राज्य सरकार द्वारा विहित, समय-समय पर संशोधन सहित |
| 8. | राज्यान्तरिक व्यापार (Intra-State Trading) अनुज्ञप्ति हेतु वार्षिक शुल्क | म.प्र. विद्युत नियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदाय हेतु पात्रता संबंधी मापदण्ड तथा व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के कर्तव्य तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2004 की कण्डिका 7.2 के अनुसार, समय-समय पर संशोधन सहित |

| स.क्रं. | आवेदन का विषय | प्रभार (रूपयों में) |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. | राज्यान्तरिक व्यापार (Intra-State Trading) अनुज्ञप्ति को छोड़कर, अनुज्ञप्ति हेतु वार्षिक शुल्क | रु. 1,00,000/- (रु. एक लाख) |
| 10. | विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 18 के उपबन्धों के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति संशोधन हेतु आवेदन | |
| (क) | अनुज्ञप्तिधारी द्वारा | रु. 2,00,000/- (रु. दो लाख) |
| (ख) | अनुज्ञप्तिधारी को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा | रु. 1,00,000/- (रु. एक लाख) |
| 11. | विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 19 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण हेतु। | |
| (क) | अनुज्ञप्तिधारी द्वारा | रु. 2,00,000/- (रु. दो लाख) |
| (ख) | अनुज्ञप्तिधारी को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा | रु. 1,00,000/- (रु. एक लाख) |
| 12. | समस्त छूट प्राप्त व्यक्तियों द्वारा देय वार्षिक शुल्क जिन्हें अनुज्ञप्ति की स्वीकृति से छूट प्रदान की गई है | ऐसा शुल्क जो आवेदन/याचिका प्रस्तुति अथवा किसी उपयुक्त प्रकरण के समय प्रत्येक आवेदन हेतु पृथक से निर्दिष्ट किया जाए या फिर जैसा कि आयोग द्वारा निर्णय लिया जाए |
| 13. | न्यायालयों अभिलेखों के निरीक्षण हेतु आवेदन। | रु. 1,000/- (रु. एक हजार) प्रति दिवस (तीन घंटे से अधिक नहीं) |
| 14. | न्यायालयीन अभिलेखों से संबंधित दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्ति हेतु आवेदन | रु. 20/- (रु. बीस) प्रति पृष्ठ |
| 15. | अन्तर्वादीय (Interlocutory) आवेदन दाखिल करना | रु. 25,000/- (रु. पच्चीस हजार) |
| 16. | दीर्घकालीन ऊर्जा क्रय अनुबन्ध का अनुमोदन। दीर्घकालीन से अभिप्रेत है एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि | |
| (क) | किसी भी क्षमता के परंपरागत ईंधन आधारित (कोयला, तेल आदि) संयंत्र | रु. 25,000/- (रु. पच्चीस हजार) प्रति मेगावाट अथवा उसके अंश [उच्चतम रु. 15,00,000/- (रु. पंद्रह लाख)] |
| (ख) | 25 मेगावाट अथवा इससे अधिक क्षमता के जल विद्युत संयंत्र | रु. 25,000/- (रु. पच्चीस हजार) प्रति मेगावाट अथवा उसके अंश [उच्चतम रु. 15,00,000/- (रु. पंद्रह लाख)] |
| (ग) | किसी भी क्षमता के ऊर्जा के गैर-परंपरागत तथा नवीनीकरण योग्य ऊर्जा स्रोत | रु. 25,000/- (रु. पच्चीस हजार) प्रति मेगावाट अथवा उसके अंश, [न्यूनतम रु. 1,00,000/- (एक लाख) अधिकतम रु. 7,50,000/- (रु. सात लाख पचास हजार)।] |
| (घ) | 25 मेगावाट अथवा इससे अधिक क्षमता के जल विद्युत संयंत्र | रु. 25,000/- (रु. पच्चीस हजार) प्रति मेगावाट अथवा उसके अंश, [न्यूनतम रु. 1,00,000/- (एक लाख) अधिकतम रु. 7,50,000/- (रु. सात लाख पचास हजार)।] |

| स.क्र. | आवेदन का विषय | प्रभार (रूपयों में) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 17. | लघुकालीन ऊर्जा क्रय अनुबंध समस्त स्रोतों से (लघुकालीन से अभिप्रेत है, एक वर्ष से कम की अवधि) | रु. 25,000/- (रु. पच्चीस हजार) प्रति अनुबंध |
| 18. | विवादों का निपटान हेतु याचिका, जो विद्युत अधिनियम 2003 एवं तत्संबंधी निर्दिष्ट विनियमों के अन्तर्गत आते हैं, के संबंधित याचिका | |
| (क) | जो किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत किये जाएं या विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा जो ऊर्जा के परम्परागत स्रोतों का उपयोग करती हो | रु. 2,00,000/- (रु. दो लाख) |
| (ख) | जो किसी विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किये जाएं या जो ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोतों का उपयोग करती हो | रु. 1,00,000/- (रु. एक लाख) |
| (ग) | जो किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किये जो किसी आबद्ध (केप्टिव) विद्युत उत्पादन संयंत्र का स्वामी हो | रु. 1,00,000/- (रु. एक लाख) |
| (घ) | ऐसा कोई प्रकरण जिसकी गणना अधिनियम की धारा 86(1)(च) के अन्तर्गत की जाए, को किसी निर्णायक (arbitrator) के समक्ष प्रस्तुत किया जाए | निर्णायक को देय शुल्क राशि, यदि कोई हो, को पक्षकारों द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा |
| 19. | विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 17 के अधीन अग्रिम अनुमोदन प्राप्ति हेतु आवेदन | रु. 7,50,000/- (रु. सात लाख पचास हजार) |
| 20. | विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 35 के अधीन अन्तर्वर्ती पारेषण सुविधाओं के उपयोग हेतु इच्छुक व्यक्ति द्वारा आवेदन | रु. 1,00,000/- (रु. एक लाख) |
| 21. | विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 35 के परन्तुक के अधीन अधिशेष क्षमता की मात्रा के निर्धारण हेतु विवाद का न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत निपटान के लिये प्रस्तुत की गई याचिका विषयक | रु. 2,00,000/- (रु. दो लाख) |
| 22. | विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 36 की उप-धारा 36 के परन्तुक के अधीन, शुल्कों (दरों), प्रभारों, निबंधनों एवं शर्तों के अवधारण हेतु आवेदन | रु. 2,00,000/- (रु. दो लाख) |
| 23. | विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 162(2) के अधीन मुख्य विद्युत निरीक्षक अथवा किसी विद्युत निरीक्षक के निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील के अन्तर्गत। | रु. 25,000/- (रु. पच्चीस हजार) |
| 24. | विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 67 की उप-धारा के अधीन (सड़कों की खुदाई, रेलवे आदि) उद्भूत किसी विवाद के प्रकरण में प्रस्तुत की गई याचिका के बारे में। | रु. 25,000/- (रु. पच्चीस हजार) |
| 25. | विद्युत-दर के सत्यापन हेतु आवेदन यदि यह पृथक याचिका के रूप में प्रस्तुत किया जाए | रु. 2,00,000/- (रु. दो लाख) |
| 26. | अन्य कोई आवेदन या याचिका जो विशिष्ट रूप से उपरोक्त उल्लेखित किसी उपबन्धों के अधीन नहीं आते हैं | रु. 25,000/- (रु. पच्चीस हजार) |

| स.क्र. | आवेदन का विषय | प्रभार (रूपयों में) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27. | विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन विद्युत-दर (टैरिफ) को अंगीकार (adopt) करने के बारे में आवेदक के लिये शुल्क। | रु. 10,00,000/- (रु. दस लाख) |
| 28. | उपरोक्त सरल क्रमांक 18, 21, 24 तथा 26 के अन्तर्गत दाखिल की गई याचिका से संबंधित किसी आदेश/निर्णय या दिशा-निर्देश के बारे में समीक्षा हेतु (जहां तक कि इसका संबंध प्रत्यक्ष रूप से याचिका से है) प्रस्तुत की गई याचिका। | इस याचिका में विषयान्तर्गत विनिर्दिष्ट याचिका शुल्क का 25% अथवा रु. 25,000/- (रु. पच्चीस हजार) इनमें से जो भी अधिक हो |
| 29. | उपरोक्त सरल क्रमांक 7 से 26 के अन्तर्गत दाखिल आवेदन के बारे में (सरल क्रमांक 28 में उल्लेखित सरल क्रमांकों को छोड़कर) से संबंधित किसी आदेश/निर्णय या दिशा-निर्देश के बारे में पुनर्विचार हेतु किसी आवेदन हेतु | इसी अनुसूची के अन्तर्गत कथित सरल क्रमांक के विरुद्ध निर्दिष्ट की गई शुल्क राशि के बराबर |

Bhopal, the 27th June 2024

No. 1547/MPERC/2024- In exercise of powers conferred under Sub-section (1)(g) of Section 86 read with Sub-section (2)(zp) of Section 181 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) and all powers enabling it in that behalf, the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby revises the "MPERC (Fees, Fines and Charges) (Revision-I) Regulations, 2010 [RG-21 (I) of 2010]" notified in Madhya Pradesh Gazette vide No. 547 MPERC-2010, dated 3rd March, 2010 and published on 12th March 2010.

**MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
(FEES, FINES AND CHARGES (REVISION-II) REGULATIONS, 2024 [RG-21 (II) of
2024]**

PREAMBLE

Whereas the Commission had notified Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Fees, Fines and Charges) (Revision-I) Regulations, 2010 as amended from time to time and whereas certain major changes are necessary in these Regulations, therefore, these Regulations are being revised.

CHAPTER I**GENERAL****1. Short title and Commencement:**

- (i) These Regulations may be called the “Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Fees, Fines and Charges) (Revision-II) Regulations, 2024” {RG-21(II) of 2024}.
- (ii) These Regulations shall come into force on the date of their notification in the M.P. Gazette. However, for Generating Company and Transmission Licensee the revised Tariff fee as per Schedule-1 shall be applicable for the tariff period FY 2024-25 onwards.
- (iii) These Regulations shall extend to the whole of State of Madhya Pradesh.

CHAPTER II**DEFINITIONS****2. Definitions:**

2.1 In these Regulations, unless the context otherwise requires:

- (a) “**Commission**” or “**MPERC**” means the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission;
- (b) “**Electricity Act**” or “**Act**” means the Electricity Act, 2003 (Act 36 of 2003);
- (c) “**Fees**” means fees as mentioned in the Schedule-1;
- (d) “**Fines and/or Charges**” refers to Fines and/or charges that the Commission is empowered to impose under the Act;
- (e) “**Fund**” shall mean the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission Fund constituted under Section 103 of the Electricity Act, 2003;

- (f) “**Generating Company**” shall have the meaning as defined under the Electricity Act, 2003;
- (g) “**Licensees**” shall mean licensees under the Electricity Act, 2003;
- (h) “**Regulations**” shall mean the “Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Fees, Fines and Charges) (Revision-II) Regulations, 2024”;
- (i) “**Schedule**” refers to the schedule appended to these Regulations.

2.2 The General clauses Act, 1897, as amended from time to time, shall apply to the interpretation of these Regulations.

CHAPTER III

FEES

3. Fees on Applications and Petitions

- i. Every application, petition or appeal made to the Commission shall be accompanied by such Fees as specified in the Schedule 1. The Co-Petitioner(s), if any, shall also have to pay the same fee/charges as is required to be paid by the main petitioner. However, no Fee/Charges shall be leviable in case any application or petition is filed by the Central or State Government. The distribution licensees are also exempted from payment of separate fee in case they are the co-petitioners in the petitions for determination of Aggregate Revenue Requirement and retail supply tariff.
- ii. Petitions wherein two or more distinct subjects are clubbed, the petitions shall be considered as if these petitions have been filed separately for separate subjects. Fees applicable on such petitions shall be the aggregate amount of the fees as given under/in accordance with Schedule 1.

Provide that in case any petitioner belonging to BPL or SC/ST category filing the petition, in personal capacity demands waiver of any fee payable under sub-clause (i) and (ii) of clause 3, the Commission may at its discretion, waive his fee fully/partially. Such waiver shall not be allowed if the petition is filed by any Company/Firm or any similar establishment.

- iii. The Fees payable under these Regulations shall be paid by means of bank draft, pay order drawn in favour of the ‘Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission’ payable at Bhopal or through online mode. If the Fee payable is more than Rupees One lakh, the same shall be deposited through electronic transfer directly in the Bank Account of MPERC under

intimation to the Commission. Details needed for identifying the bank account of MPERC may be obtained from the Commission Secretary, or Commission's website mperc.in .

- iv. All Fees received by the Commission under these Regulations shall be credited to the Fund.
- v. The annual fee as per Serial No. 8 and 9 of Schedule-I shall be payable in advance by 31st March of each year failing which delayed payment charge at the rate of one percent (1%) shall be payable on the outstanding amount for each month or a part thereof for the period fees remains unpaid.
- vi. In case the petition for determination of Multi Year Tariff is filed by Generating Company/Transmission Licensee, the fee may be paid at the rate as specified in the Schedule-1 for the complete tariff period while filing the petition. Alternatively, the fee may be paid for the first year at the specified rate while filing the petition. The fee for balance tariff period may be paid annually in advance by 28th February of each year failing which delayed payment charge at the rate of one percent (1%) shall be payable on the outstanding amount for each month or a part thereof for the period fees remains unpaid.

Provided, for tariff period FY 2024-25 only Generating Company and Transmission Licensee may submit the Fee by 31st March, 2024.

- vii. No petition or document made chargeable as per Schedule 1 of the Regulation, shall be filed before the Commission unless the fees so specified have been paid. Wherein such fees have not been paid or a lesser amount other than the fees, specified in the Regulation has been paid, the petitioner may be asked to submit the required fees/balance fees within a time period of fifteen days from the date of intimation. In case of Non-compliance of such intimation, the Commission may in its discretion return such petition unheard.
- viii. If a petitioner withdraws its petition filed before the Commission for any reason, the fee deposited by the Petitioner as per these Regulations may be refunded in full or in part, at the discretion of the Commission within 15 days from the date of withdrawal provided the withdrawal is made before the first hearing.
- ix. In case, the Commission finds the original petition filed by the Petitioner inappropriate in terms of prevailing regulations & directs the Petitioner to file the revised petition, the fee deposited by the Petitioner for original petition may, at the Commission's discretion, be adjusted with the filing fee to be deposited for revised petition.

Provide that withdrawal under Sub clause (viii) & return under Sub clause (ix) above will not adversely affect any provision of the Law being in force.

CHAPTER IV

FINES AND/OR CHARGES

4.1 Imposition of Fines and/or Charges

- i. Subject to the provisions of the Act, the Commission may, while deciding any matter or proceeding pending before the Commission or at any other time, initiate a proceeding for imposition of Fines and/or Charges against any person including generating companies and licensees for non-compliance or violation on their part of the provisions or requirements of

the Act or Rules, Regulations or Codes framed under the Act or the directions or orders of the Commission made from time to time.

- ii. While determining the quantum or extent of the Fines and/or Charges to be imposed, the Commission shall consider, amongst other relevant things, the following:
 - the nature and extent of non-compliance or violation.
 - the wrongful gain or unfair advantage derived as a result of the non-compliance or violation.
 - the loss or degree of harassment caused to any person(s) as a result of the non-compliance or violation.
 - the repetitive nature of the non-compliance or violation
- iii. Before imposing any Fines and/or Charges, the Commission shall give an opportunity to the person upon whom such Fines and/or Charges are proposed to be imposed, to represent against the proposal to impose such Fines and/or Charges and also on the quantum or extent of the Fines and/or Charges proposed to be imposed.
- iv. The Commission shall issue a notice to the person specifying the nature of non-compliance or violation on the person's part and also call upon him to show cause within the time specified in the notice as to why Fines and/or Charges may not be imposed on him for such non-compliance or violation.
- v. Where while replying to the notice, the person admits non-compliance or violation in writing, the Commission shall record the same and may impose such Fines and/or Charges as it may consider fit in the circumstances of the case, subject to the provisions of the Act.
- vi. If the person to whom a notice has been issued under sub clause (iii) fails to show cause or denies non-compliance with or violation of any provision of the Act or rules or regulations or an order of the Commission, the Commission may enquire into the matter in such manner as it deems fit.
- vii. The Commission may either on being satisfied that no non-compliance or violation of any provision of Act, rules or regulations or an order of the Commission, has been committed, withdraw the notice or in the event enquiry reveals non-compliance or violation for which notice was served, may impose such Fines or charges which are considered appropriate.

4.2 Payment of Fines and Charges.

- i. The Fines and/or Charges as ordered by the Commission shall be paid within 30 days of the order of the Commission imposing the Fines or Charges or within such extended date as may be allowed by the Commission in such order.
- ii. The Fines and/or Charges shall be payable in the same manner as provided under Sub-clause (iii) of Clause 3 of these Regulations.
- iii. If the Fines and/or Charges ordered by the Commission are not paid within the specified time, they shall be recoverable as arrears of land revenue.

4.3 Amendment of Schedule 1

The Commission shall be entitled to add, amend, alter or vary the Fees payable as provided in Schedule 1, by order, from time to time, as it deems fit.

CHAPTER V**MISCELLANEOUS****5. Repeal and Saving**

- i. The Regulations Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Fees, Fines and Charges) (Revisions-I) Regulation, 2010 published vide notification No. 547-MPERC-2010 in the Gazette dated 12.03.2010 and read with all amendments thereto, as applicable to the subject matter of this regulation are hereby superseded.
- ii. Nothing in these regulations shall bar the Commission from adopting a procedure which is at variance with any of the provisions of these Regulations, if the Commission, in view of the special circumstances of the matters and for reasons to be recorded in writing, deems it necessary or expedient to depart from the procedure specified in the regulations.
- iii. General power to amend: The Commission may at any time and on such terms as it may think fit amend any provision of these Regulations for the purpose of meeting the objectives with which these Regulations have been framed.
- iv. Power to remove difficulties: If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these Regulations the Commission may, by general or special order, do anything, not being inconsistent with the provisions of the Act, which appears to it to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulties.

Note: - In case of discrepancy between the Hindi and English version of the Regulation & Schedule, the English version shall prevail. The Commission's decision shall be final and binding in any dispute arising in this regard.

By order of the Commission,
UMAKANTA PANDA, Commission Secy.

DRAFT SCHEDULE-1 OF FEE AND FINE; REVISION II (2024)

Schedule 1

| S.No. | Name of application | Proposed Fees/charges (Rs.) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Application for determination of generation tariff | |
| (a) | Conventional fuel based plant of any capacity. | Rs. 5,000/- (Rs. Five Thousand) per MW or part thereof of installed capacity per annum. |
| (b) | Hydel Plant with capacity above 25 MW. | Rs. 5,000/- (Rs. Five Thousand) per MW or part thereof of installed capacity per annum. |
| (c) | Non-conventional and renewable sources of energy including co-generation of any capacity. | Rs.2,000/- (Rs. Two Thousand) per MW or part thereof installed capacity subject to a minimum of Rs. 10,000/- (Rs. Ten Thousand) per application. |
| (d) | Hydel Plant with capacity of 25 MW or less. | Rs.2,000/- (Rs. Two Thousand) per MW or part thereof installed capacity subject to a minimum of Rs. 20,000/- (Rs. Twenty Thousand) per application. |
| (e) | For provisional tariff determination | Rs. 1,00,000/- (Rs. One Lakh) |
| 2 | Application for determination of transmission tariff | Rs. 400/- (Rs. Four Hundred) for each one Million Units or part thereof of energy input into the EHT transmission system losses per annum. |
| 3 | Petition for determination of Distribution Tariff by Distribution Licensee | Rs. 500/- (Rs. Five Hundred) for each one Million Units or part thereof of energy input into EHT Transmission system less EHT Transmission system losses per annum. |
| 4 | Petition for determination of Tariff by Rural Licensee | Rs. 2,000/- (Rs. Two Thousand) |
| 5 | Petition for review of Tariff order, presented by generating company/licensee/ deemed licensee / person granted exemption from license. | 25% of subjected petition fee specified in this schedule or Rs. 5,00,000/- (Rs. Five Lakhs) whichever is less |
| 6 | Petition for review of Tariff order, presented by a person other than those covered in serial No. 5 above. | Rs. 1,00,000/- (Rs. One Lakhs) |
| 7 | Application fee for grant of Licence under Section 15(1) or exemption from Licence under Section 13 of the Electricity Act, 2003 | Rs 5,00,000/- (Rs. Five Lakhs) (Non- Refundable) as notified by State Government and amended from time to time |
| 8 | Annual fee for Intra-State Trading Licence | As per Clause 7.2 of MPERC (Eligibility Criteria for grant of trading licence) Regulations, 2004. And amended from time to time |
| 9 | Annual fee for Licence other than Intra-State Trading Licence. | Rs. 1,00,000/- (Rs. One Lakh) |
| 10 | Application for amendment of licence under Section 18 of the Electricity Act, 2003 | |
| (a) | By Licensee | Rs. 2,00,000/- (Rs. Two Lakh) |
| (b) | By any person other than a Licensee | Rs. 1,00,000/- (Rs. One Lakh) |
| 11 | Application for revocation of licence under subsection (2) of Section 19 of the Electricity Act, 2003. | |
| (a) | By Licensee | Rs. 2,00,000/- (Rs. Two Lakh) |
| (b) | By any person other than a Licensee | Rs. 1,00,000/- (Rs. One Lakh) |
| 12 | Annual Fees Payable by all exemptees who are granted exemption of License | Fees as may be specified on case to case basis at the time of filing of application/petition or at other appropriate stage as may be decided by the Commission. |
| 13 | Application for inspection of the judicial records | Rs. 1,000/- (Rs. One Thousand) per day not exceeding three hours. |
| 14 | Application for obtaining certified copy of the documents forming part of the judicial records | Rs. 20/- (Rs. Twenty) per page |
| 15 | Filing of Interlocutory Application | Rs. 25,000/- (Rs. Twenty-five thousand) |
| 16 | Approval of Long Term Power purchase agreement. Long term means for a period of one year or more | |
| (a) | Conventional fuel based (Coal, oil etc.) Plant of any capacity. | Rs. 25,000/- (Rs. Twenty Five Thousand) per MW or part thereof Maximum Rs. 15,00,000/- (Rs. Fifteen Lakhs)] |
| (b) | Hydel Plant with capacity above 25 MW. | Rs. 25,000/- (Rs. Twenty Five Thousand) per MW or part thereof Maximum Rs. 15,00,000/- (Rs. Fifteen Lakhs)] |
| (c) | Non conventional and renewable energy Sources of any capacity. | Rs. 25,000/- (Rs. Twenty Five Thousand) per MW or part thereof [Minimum Rs. 1,00,000/- (Rs. One Lakh) Maximum Rs. 7,50,000/- (Rs. Seven Lakhs Fifty Thousand)] |
| (d) | Hydel Plant with capacity of 25 MW or less. | Rs. 25,000/- (Rs. Twenty Five Thousand) per MW or part thereof [Minimum-Rs. 1,00,000/- (Rs. One Lakh) Maximum-Rs. 7,50,000/- (Rs. Seven Lakhs Fifty Thousand)] |

Schedule 1

| S.No. | Name of application | Proposed Fees/charges (Rs.) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | Approval of Short Term Power Purchase Agreement from all sources (Short term shall mean for a period less than 1 year) | Rs.25,000/- (Rs. Twenty-five Thousand) per agreement |
| 18 | Petition for adjudication of disputes under the Electricity Act, 2003 and regulations specified there under. | |
| (a) | Filed by a Licensee or by a Generating Company using conventional source of energy | Rs. 2,00,000/- (Rs. Two Lakh) |
| (b) | Filed by a Generating Company using Non-conventional source of energy | Rs. 1,00,000/- (Rs. One Lakh) |
| (c) | Filed by a Person owning Captive Generating Plant | Rs. 1,00,000/- (Rs. One Lakh) |
| (d) | If any matter enumerated in 86(1) (f) of act, is referred to arbitrator | The fee of arbitrator shall be borne by the parties equally if any. |
| 19 | Application seeking prior approval under Section 17 of the Electricity Act, 2003 | Rs. 7,50,000/- (Rs. Seven Lakhs Fifty Thousand) |
| 20 | Application under Section 35 of the Electricity Act, 2003 for seeking the use of intervening transmission facilities. | Rs. 1,00,000/- (Rs. One Lakh) |
| 21 | Petition for adjudication of dispute regarding extent of surplus capacity under the proviso to Section 35 of the Electricity Act, 2003. | Rs. 2,00,000/- (Rs. Two Lakh) |
| 22 | Application for determination of rates, charges, terms and conditions under proviso to sub-section (1) of Section 36 of Electricity Act, 2003. | Rs. 2,00,000/- (Rs. Two Lakh) |
| 23 | Appeal against the decision of a Chief Electrical Inspector or an Electrical Inspector under Section 162 (2) of the Electricity Act, 2003. | Rs. 25,000/- (Rs. Twenty-five Thousand) |
| 24 | Petition for disputes arising under Section 67 sub section 4 of the Electricity Act, 2003. (opening of Streets, Railways etc). | Rs. 25,000/- (Rs. Twenty-five Thousand) |
| 25 | Application for Truing up of Tariff Order if filed as a separate petition. | Rs. 2,00,000/- (Rs. Two Lakh) |
| 26 | Any other application or petition not specifically covered above | Rs. 25,000/- (Rs. Twenty-five Thousand) |
| 27 | Fee for application for adoption of tariff u/s 63 of the Electricity Act, 2003 | Rs. 10,00,000/- (Rs. Ten Lakhs) |
| 28 | Petition for review of any order/decision or direction related to any petition filed under serial no. 18,21,24 and 26 (as far as petition is concerned). | 25% of subjected petition fees specified in this Schedule or Rs. 25,000/- (Rs. Twenty Five Thousand) whichever is more. |
| 29 | Application for reconsideration of any order/decision or direction related to any application filed under serial no. 7 to 26 (except item nos. covered under item no. 28) | Equivalent to fees as specified against these serial no. in this Schedule |